प्रेस नोट

थाना कोतवाली फतेहपुर पुलिस द्वारा कूटरचना करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहपुर के आदेश एवं निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के अनुपालन में तथा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 436/2026 धारा 318(4), 336(3), 340(2),338 BNS से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 1 सुमित सिंह पुत्र अर्जुन सिंह उम्र करीब 22 वर्ष निवासी रामपुर थरियांव, जनपद फतेहपुर को बाद पूछताछ थाना हाजा से आज दिनांक 12.09.2026 को समय 15.30 बजे हिरासत पुलिस में उ0नि0 संदीप कुमार के द्वारा लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय/जेल फतेहपुर भेजा जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण – वादी श्री आवेदक श्री शशांक कुमार वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी जनपद फतेहपुर बावत आरोपीगणों द्वारा धोखाधड़ी करके फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर गलत तरीके से दिव्यांग पेंशन का लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रा0पत्र के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 436/2026 धारा 318(4), 336(3), 340(2) BNS, बनाम 1.श्री अर्जुन सिंह पुत्र अनन्त प्रताप सिंह, 2.श्री सुमित सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, 3.श्रीमती सुनीता पत्नी अर्जुन सिंह निवासीगण अज्ञात के पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन से मुकदमा धारा 338 BNS की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त सुमित सिंह पुत्र अर्जुन सिंह उम्र करीब 22 वर्ष निवासी रामपुर थरियांव, जनपद फतेहपुर को बाद पूछताछ थाना हाजा से आज दिनांक 12.09.2026 को समय 15.30 बजे हिरासत पुलिस में उ0नि0 संदीप कुमार के द्वारा लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

क्र.सं	नाम पता अभियुक्त		मु0अ0सं0
1.	सुमित सिंह पुत्र अर्जुन सिंह उम्र करीब 22 वर्ष निवासी रामपुर थरियांव, जनपद फतेहपुर	1.	1. मु0अ0सं0 55/2025 धारा 324(2), 351(3), 352 बीएनएस व 3(1)(घ),3(1)(द), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना खागा जनपद फतेहपुर 2. मु0अ0सं0 294/26 धारा 323, 420, 504, 506 भादवि थाना खागा जनपद फतेहपुर 3. मु0अ0सं0 220/2021 धारा 376, 506 भादवि व 3/4पाक्सो एक्ट थाना थरियांव जनपद फतेहपुर 4. मु0अ0सं0 162/24 धारा 406/419/420/504/506 भादवि थाना थरियांव जनपद फतेहपुर 5. मु0अ0सं0 179/2024 धारा 115(2), 324(2), 351(2), 352 बीएनएस थाना थरियांव जनपद फतेहपुर 6. मु0अ0सं0 194/26 धारा 115(2), 316(2), 318(4), 336(2), 351(2), 352 थाना थरियांव जनपद फतेहपुर 7. मु0अ0सं0 195/2026 धारा 316(2), 318(4), 351(2), 352 थाना थरियांव जनपद फतेहपुर 8.मु0अ0सं0 436/26 धारा 318(4)/336(3)/340(2)/338 BNS थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समय – दिनांक 12/09/2026 को समय 15.30 बजे थाना हाजा से।

पूछताछ अभियुक्त - सुमित सिंह पुत्र अर्जुन सिंह उम्र करीब 22 वर्ष निवासी रामपुर थरियांव, जनपद फतेहपुर मो0नं0- 7054348224 पूछने पर बताया कि वर्ष 2021 में मैने दिव्यांग की पेन्शन पाने के लिए दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर पेन्शन पा रहा था, मुझे कई बार दिव्यांगता प्रमाण के लिए बुलाया जा रहा था लेकिन मै दिव्यांगता ठीक हो जाने के कारण मै पैसों की लालच में नही जाता था और पेंशन प्राप्त करता रहा ,मै बपचन से सही था, मेरा एक्सीडेन्ट हुआ था उसके बाद चोटो को बताकर फर्जी तरीके से दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाकर हर महीना दिव्यांगता पेंशन पाने की लालच में मैने गलत तरीके से पेंशन प्राप्त कर रहा था, , मै पूरी तरह से स्वास्थ्य हूँ। मुझे कई बार मेडिकल व शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाता था लेकिन पैसों की लालच में मै नही जाता था, साहब गलती हो गयी है, माफ कर दीजिए। शेष सफाई मै अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण		
1.	प्र0नि0 हेमन्त कुमार मिश्र	थाना कोतवाली नगर
2.	उ0नि0 संदीप कुमार	थाना कोतवाली नगर

प्रभारी निरीक्षक
थाना कोतवाली
जनपद फतेहपुर